निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 भाद्र 1940 (श0)

(सं0 पटना 788) पटना, शुक्रवार, 24 अगस्त 2018

सं० 04 / नि०अधि० कैश–क्रेडिट–08 / 2017–2394
सहकारिता विभाग

संकल्प
20 अगस्त 2018

विषय :– राज्य सरकार द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष से अधिप्राप्ति कार्य के प्रबंधन हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि पर ब्याज दर 9% से घटाकर 7% करने, जिससे जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को 7.25% एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से पैक्स / व्यापारमंडलों को 8% वार्षिक ब्याज दर पर कैश–क्रेडिट ऋण उपलब्ध हो सके, की स्वीकृति के संबंध में।

कृषकों को उनके उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने एवं आलात बिक्री (Distress Sale) को रोकने हेतु पैक्स / व्यापारमंडल के माध्यम से धान / गेहूँ आदि का अधिप्राप्ति कार्य किया जा रहा है। अधिप्राप्ति कार्य के संचालन हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक को अब तक 600 करोड़ रूपये की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई गई है। उक्त कार्यशील पूंजी पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज निर्धारित है, जिसे पैक्स / व्यापारमंडलों को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से कैश–क्रेडिट ऋण की राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसका ब्याज दर 11% वार्षिक है। उच्च ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने तथा राज्य खाद्य निगम द्वारा CMR की राशि के भुगतान में विलम्ब के कारण पैक्स / व्यापारमंडलों पर अत्याधिक ब्याज का बोझ पड़ता है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

(2) राज्य सरकार द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष से अधिप्राप्ति कार्य के प्रबंधन हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि पर ब्याज दर 9% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया गया है। जिससे जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को 7.25% एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से पैक्स / व्यापारमंडलों को 8% वार्षिक ब्याज दर पर कैश–क्रेडिट ऋण उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिससे ब्याज के रूप में होने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम किया जा सकेगा एवं पैक्स / व्यापारमंडल अधिप्राप्ति व्यवहारिक वित्तीय समव्यवहार बना रहेगा।

(3) मंत्रिपरिषद की दिनांक 29.05.2018 की बैठक में मद संख्या–6 में निहित प्रस्ताव पर बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा राज्य सरकार से वर्त्तमान वित्तीय वर्ष से अधिप्राप्ति कार्य के प्रबंधन हेतु लिये जाने वाले ऋण पर ब्याज दर 7% किये जाने की स्वीकृति प्राप्त है।

(4) बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष से लिये जाने वाले ऋण राशि का विचलन अन्य योजनाओं/मद में नहीं किया जायेगा।

(5) इस योजना के संबंध में विभागीय स्वीकृति पत्र एवं विभागीय दिशा–निर्देश लागू होगा। यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जायेगा।

आदेश : **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुरेश चौधरी,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 788-571+20-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in